

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(54)एम.ई./ग्रुप-1/1984


जयपुर, दिनांक: 27 JUN 2019

परिपत्र

महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव भिजवाये जाते रहे हैं। चिकित्सक शिक्षकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव निम्न परिस्थितियों में ही स्वीकार किये जा सकेंगे :-


1. माननीय न्यायालय के आदेश होने पर
2. माननीय मुख्य मंत्री महोदय/राज्यपाल महोदय/राष्ट्रपति महोदय के आदेश होने पर।
3. अति गम्भीर रोग यथा कैंसर, पक्षाघात, मानसिक विक्षिप्तता अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशासित स्थिति जिसमें वह दैनिक काम काज करने में सक्षम न रहे।
4. राज्य द्वारा संचालित/राज्य संचालित सोसाइटी अथवा समान संस्था अन्य सम्बन्धित शिक्षण/प्रशिक्षण चिकित्सा/अनुसंधान संस्था मेडिकल कॉलेज में स्थाई पद पर चयन हो जाने की स्थिति में।
5. राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं में स्थाई पद पर चयन की स्थिति में।

अतः चिकित्सक शिक्षकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरण निम्न बिन्दुओं के तहत परीक्षण कर ही प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

  
(आर.एन. शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा/एकेडेमिक।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
(जी.आर.रावल)  
शासन सहायक सचिव